समक्ष न्यायालय राजस्व मण्डल ग्वालियर (म.प्र.)

राजस्व पुनरीक्षण क. ..../2018

I/निगरानी/दमोह/भू.रा/2018/1881

पुनरीक्षणकर्ता अरूण दुबे पिता श्री जगदीश दुबे,आयु–30वर्ष, निवासी–तारादेही रोड,वार्ड नं.11,तेन्दूखेड़ा,तहसील–तेन्दूखेड़ा, जिला दमोह (म.प्र.)

विरूद्ध

प्रत्यर्थीगण

1. नंदन जैन पिता हल्कई जैन,आयु–करीब57 वर्ष
2. चेतन जैन उम्र करीब 27वर्ष
   दोनों निवासी–तारादेही रोड,वार्ड नं.12, विश्वकर्मा मंदिर के पास,तहसील तेन्दूखेड़ा, जिला दमोह (म.प्र.)
3. अभिषेक जैन उम्र व्यस्क
   टेरेटरी सेल्स मैनेजर,एस्सार ऑयल एण्ड गैस भोपाल (म.प्र.)
4. संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश सागर
5. क्षेत्रीय अधिकारी, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,सागर
6. पुलिस अधीक्षक, दमोह जिला दमोह (म.प्र.)
7. कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग,दमोह जिला दमोह (म.प्र.)
8. कार्यपालन यंत्री,लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय विभाग दमोह, जिला दमोह (म.प्र.)
9. अधीक्षण यंत्री म.प्र.वि.मण्डल दमोह
10. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दमोह, जिला दमोह (म.प्र.)
11. प्रबंधक, जिला व्यापार एवं उघोग केन्द्र दमोह जिला दमोह (म.प्र.)
12. अनुविभागीय दंडाधिकारी,तेन्दूखेड़ा,जिला दमोह
13. म.प्र.शासन

बी. के. लारे ओझा 20.3.18 को प्रस्तुत। प्रा. तर्क हेतु दिनांक 22-3-18 नियत।

क्लर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर 20.3.18

बी. के. लारे (एड)

कार्यालय महाधिवक्ता, ग्वालियर
अग्रिम प्रति 2307/58
पृष्ठ क्र. 01 से 19
दिनांक 20/3/18
हस्ताक्षर व नाम

पुनरीक्षण अंतर्गत धारा 154 पेट्रोलियम नियम, 2005

पुनरीक्षणकर्ता के द्वारा विद्वान अतिरिक्त कमिश्नर सागर संभाग सागर म.प्र.के राजस्व अपील क.414/अपील/2017–18पक्षकार अरूण दुबे विरूद्ध नंदन जैन एवं अन्य में पारित आलोच्य आदेश दिनांक 26/02/2018से व्यथित होकर निम्न तथ्यों,आधारों एवं विधि के सारभूत प्रश्नों पर आधारित होकर निम्न पुनरीक्षण प्रस्तुत की जा रही है।

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - एक/निगरानी/दमोह/भू.रा./2018/1881

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
22/03/2018	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री राजेन्द्र जैन एवं अनावेदक शासन की ओर से शासकीय अधिवक्ता श्री प्रखर डेंगुला उपस्थित। उभयपक्षों को ग्राह्यता एवं स्थगन के बिन्दु पर सुना गया। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा ग्राह्यता पर दिए गए तर्कों पर विचार किया एवं आलोच्य आदेश का अवलोकन किया। प्रकरण को देखने से स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय में कार्यवाही पेट्रोलियम अधिनियम 2005 के तहत प्रस्तुत की जा रही है। इस न्यायालय के समक्ष भी निगरानी उक्त अधिनियम की धारा 154 के तहत प्रस्तुत की गई है। उक्त अधिनियम के तहत सुनवाई का क्षेत्राधिकार राजस्व मण्डल को किस प्रकार है यह स्थिति आवेदक अधिवक्ता स्पष्ट नहीं कर सके। ऐसी स्थिति में यह निगरानी इस न्यायालय में प्रचलनयोग्य न होने से अग्राह्य की जाती है। **प्रशासकीय सदस्य**	